क्रमांक 34/106/81-1 जीः एसः I

प्रेषक :

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में,

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल, सभी उपायुक्त सभी उपमण्डल अधिकारी हरियाणा ।

2. रजिस्ट्रार, पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।

दिनांक, चण्डीगढ़, 10-12-1981

विषयः- चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त करने के बारे में।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के पत्र क्रमांक 1259-5 जीः एसः I/74-13840, दिनांक, 13 जून, 1974 द्वारा जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी कहा गया था कि यदि विभागीय सेवा नियमों में लिपिकों के प्रमोशन द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, तो इसे 20 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाये ।

2. इस निमित यह स्पष्ट किया जाता है कि तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा लिपिकों के पदों पर पदोन्नति का लाभ निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार पदों तथा रिक्तियों दोनों में दिया जाता है, जिसे कैडर में स्वीकृत पदों की निर्धारित प्रतिशतता तक सीमित रखा जाये । ऐसा सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक होगा कि लिपिकों की 20 प्रतिशत या जो प्रतिशतता निर्धारित की गई है, के अनुसार जो पद रिक्तियां तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से भरी जायें, इसके लिये संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक रोस्टर बना लेना चाहिये और उसके अनुसार पात्र तथा उपायुक्त कर्मचारियों को लिपिकों के पदों पर पदोन्नत किया जाये । यदि इन श्रेणियों के पात्र और उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध न हों तो उनके लिये उपलब्ध/रिक्तियों को "कैरी फारवर्ड" करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उन्हें नियमानुसार अन्य साधनों से भर लिया जाये ।

3 कृपया ये हिदायतें सभी संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों के ध्यान में ला दी जायें ।

भवदीय,

हस्ता/-

संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-

वित्तायुक्त हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।